का॰ज्ञा॰सं॰ 14012/6/87-रा॰भा॰ (ग), दिनांक 16 फरवरी, 1988

विषय: अधीनस्थ सेवाओं और गैर तकनीकी पदों की भर्ती परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी का ऐच्छिक प्रयोग।

इस विभाग के 6 जनवरी, 1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/14012/34/75/रा॰भा॰ (ग) में ये निदेश दिए गए थे कि भारत सरकार के हिंदी भाषी राज्यों में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों की सेवाओं में अथवा पदों पर सीधी भर्ती के लिए क्षेत्रीय या स्थानीय आधार पर ली जाने वाली परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी के ऐच्छिक प्रयोग की अनुमति दी जाए। 21 मई, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14012/6/87-रा॰भा॰(ग) द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि ये निदेश केंद्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन या स्वामित्व वाले सभी सरकारी उपक्रमों, बैंकों आदि के हिंदी भाषी राज्यों में स्थित कार्यालयों पर भी लागू होते हैं। इन दोनों परिपत्रों की प्रतियां तत्काल संदर्भ के लिए संलग्न हैं।

2. 6 जनवरी, 1976 तथा 21 मई, 1987 के उपरोक्त निदेश केवल हिंदी भाषी राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों पर लागू किए गए थे ''ख'' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों की सेवाओं में अथवा पदों पर भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में तथा केंद्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन या स्वामित्व वाले सरकारी उपक्रमों, बैंकों आदि के कार्यालयों की सेवाओं अथवा पदों पर सीधी भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में इसी प्रकार का विकल्प देने के बारे में इस विभाग में विचार हो रहा था। इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि ''ख'' क्षेत्र में अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्यों में तथा चंड़ीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों तथा केंद्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन या स्वामित्व वाले सभी सरकारी उपक्रमों, बैंकों आदि की सेवाओं में और पदों पर सीधी भर्ती के लिए क्षेत्रीय या स्थानीय आधार पर ली जाने वाली सभी परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी के ऐच्छिक प्रयोग की अनुमति उसी प्रकार दे दी जाए जिस प्रकार 6 जनवरी, 1976 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार ''क'' क्षेत्र में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों के लिए दी जा रही है।

3. केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों से अनुरोध है कि इस निर्णय को अपने सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के तथा सरकारी उपक्रमों, बैंकों आदि के ध्यान में ला दें और इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।